


|   |   |
|---|---|
|  | <b>उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०</b><br><b>(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)</b><br><b>शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार</b><br><b>14, अशोक मार्ग, लखनऊ-228001</b> |
|---|---|

संख्या : 4114-मा०सं०-01/वि०उ०नि०लि०/2012-09-मा०सं०-01/2001 दिनांक : 6 अक्टूबर, 2012

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा उ०प्र० शासन, श्रम अनुभाग-3 की अधिसूचना सं० 2271/36-3-2011, दिनांक 23.12.2011 सपठित शासनादेश सं०-वे०आ०-2-287/दस-59(एम)/08, दिनांक 16.03.2010 के अनुसरण में उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के कल्याण अधिकारियों के वेतनमान दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित आदेश किये जाते हैं :-

(क) पुनरीक्षित वेतनमान

कल्याण अधिकारियों के दिनांक 01.01.1996 से यथा प्रवृत्त वेतनमान दिनांक 01.01.2006 से निम्नवत् पुनरीक्षित किये जाते हैं :-

| क्र० सं० | पदनाम                      | दिनांक 01-01-1996 से लागू वेतनमान | दिनांक 01-01-2006 से प्रवृत्त किये जा रहे पुनरीक्षित वेतनमान |                        |
|----------|----------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|
|          |                            |                                   | वेतन बैंड/वेतनमान  | सादृश्य ग्रेड वेतन रू० |
| 1.       | कल्याण अधिकारी, ग्रेड- I   | 10,000-325-15,200                 | वेतन बैंड-3<br>रू० 15,600-39,100                             | 6600                   |
| 2.       | कल्याण अधिकारी, ग्रेड- II  | 8,000-275-13,500                  | वेतन बैंड-3<br>रू० 15,600-39,100                             | 5400                   |
| 3.       | कल्याण अधिकारी, ग्रेड- III | 6,500-200-10,500                  | वेतन बैंड-2<br>रू० 9,300-34,800                              | 4600                   |

(ख) पुनरीक्षित वेतन संरचना को वरण करने हेतु विकल्प का चयन

पुनरीक्षित वेतन संरचना को वरण करने हेतु विकल्प का चयन सम्बन्धित कल्याण अधिकारी द्वारा लिखित रूप से निर्धारित प्रारूप पर निगमादेश सं० 320-मा०सं०-04/उनि०लि०/2009-43-मा०सं०-04/2008 दिनांक 28.02.2009 में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार दिया जाना होगा।

(ग) पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्रारम्भिक वेतन का निर्धारण

01 जनवरी, 2006 के पूर्व से कार्यरत किसी वेलफेयर आफिसर के वेतन का निर्धारण उसके द्वारा 01 जनवरी, 2006 अथवा विकल्प की तिथि को प्राप्त मूल वेतन का 186 प्रतिशत आगणित करने पर प्राप्त राशि को अगले 10 रूपये में पूर्णांकित करते हुए किया जायेगा, और इस प्रकार निर्धारित वेतन के साथ सम्बन्धित कार्मिक वर्तमान वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन प्राप्त करने का हकदार होगा किन्तु 01 जनवरी, 2006 या इसके बाद नियुक्त वेलफेयर आफिसर 01-01-2006 से सादृश्य ग्रेड वेतन के साथ पुनरीक्षित वेतनमान में न्यूनतम वेतन प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(घ) पुनरीक्षित वेतनमान में वार्षिक वेतन वृद्धि

पुनरीक्षित वेतन संरचना में वार्षिक वेतन वृद्धि की धनराशि वेतन बैंड में निर्धारित वेतन और उसके सादृश्य देय ग्रेड वेतन के योग का 03 प्रतिशत होगी, जिसे अगले 10 रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा। वार्षिक वेतन वृद्धि की धनराशि वेतन बैंड में देय मौजूदा वेतन में जोड़ी जायेगी।

*(Handwritten signature and date)*  
6/10/12

टिप्पणी :- प्रारम्भिक वेतन निर्धारण की राशि एवं वार्षिक वेतन वृद्धि की राशि को अगले दस रूपये में पूर्णांकित करते समय एक रूपये से कम की राशि को संज्ञान में नहीं लिया जायेगा, अर्थात् एक रूपये या उससे अधिक राशि को ही अगले दस रूपये में पुर्णांकित किया जायेगा।

(ड.) अगली वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि

दिनांक 01-01-2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना के लागू होने के पश्चात् वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि एकसमान अर्थात् प्रत्येक वर्ष प्रथम जुलाई होगी। पुनरीक्षित वेतन संरचना में 06 माह अथवा अधिक अवधि पूर्ण करने वाले वेलफेयर आफिसर प्रथम जुलाई को वेतन वृद्धि प्राप्त करने के पात्र होंगे।

(च) देय अवशेष का भुगतान

पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन निर्धारण का लाभ दिनांक 01-01-2006 से अनुमन्य होगा किन्तु अवशेष की देयता शासनादेश के निर्गमन की तिथि 23-12-2011 से अनुमन्य होगी।

(छ) कल्याण अधिकारियों को पूर्व में स्वीकृत तृतीय समयबद्ध वेतनमानों के नवीन वेतन संरचना में प्रतिस्थानी वेतनमान

कल्याण अधिकारियों को पूर्व में स्वीकृत तृतीय समयबद्ध वेतनमानों के दिनांक 01-01-2006 से लागू नवीन वेतन संरचना में प्रतिस्थानी वेतनमान निम्नवत् स्वीकृत किये जाते हैं :-

(i) जिन्हें दिनांक 01-01-2006 से पूर्व तृतीय समयबद्ध वेतनमान स्वीकृत हुए थे

| क्रम सं० | नाम (सर्वश्री)       | स्वीकृत वेतनमान | देय तिथि   | दिनांक 01-01-2006 से प्रवृत्त वेतनमान में दिनांक 01-01-2006 से प्रस्तावित प्रतिस्थानी वेतनमान |                  |
|----------|----------------------|-----------------|------------|---|------------------|
|          |                      |                 |            | वेतन बैण्ड  | सादृश्य ग्रेड पे |
| 1.       | जितेन्द्र कुमार सिंह | 12000-375-16500 | 30.08.2005 | 15600-39100   | 7600             |
| 2.       | दिनेश चांडक          | 12000-375-16500 | 14.01.2000 | 15600-39100   | 7600             |
| 3.       | तेज बहादुर सिंह      | 10650-325-15850 | 13.08.2005 | 15600-39100   | 6600             |

(ii) जिन्हें दिनांक 01-01-2006 के बाद तृतीय समयबद्ध वेतनमान स्वीकृत हुए थे

| क्रम सं० | नाम (सर्वश्री)        | स्वीकृत वेतनमान | देय तिथि | नई वेतन संरचना में दिनांक 01-01-2006 से प्रस्तावित प्रतिस्थानी वेतनमान |                  | नई वेतन संरचना में दिनांक 01-01-2006 के बाद तृतीय समयबद्ध वेतनमान की तिथि से अनुमन्य प्रस्तावित प्रतिस्थानी वेतनमान |                  |
|----------|-----------------------|-----------------|----------|--|------------------|---|------------------|
|          |                       |                 |          | वेतन बैण्ड   | सादृश्य ग्रेड पे | वेतन बैण्ड  | सादृश्य ग्रेड पे |
| 1.       | कौशलेन्द्र सिंह सेंगर | 12000-375-16500 | 05.10.06 | 15600-39100  | 6600             | 15600-39100   | 7600             |
| 2.       | प्रकाश चन्द्रा        | 12000-375-16500 | 05.10.06 | 15600-39100  | 6600             | 15600-39100   | 7600             |
| 3.       | विजय कुमार मालवीय     | 12000-375-16500 | 02.11.06 | 15600-39100  | 6600             | 15600-39100   | 7600             |
| 4.       | मान सिंह              | 12000-375-16500 | 31.10.06 | 15600-39100  | 6600             | 15600-39100   | 7600             |

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

*Handwritten signature and date:*  
6/10/12

संख्या : 4114(1)-मा0सं0-01 / वि0उ0नि0लि0 / 2012 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 2- निदेशक (तकनीकी) / (वित्त) / (कार्मिक), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
- 3- मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) / (स्तर-11), अनपरा / ओबरा / पारीछा / पनकी / हरदुआगंज तापीय विद्युत परियोजना, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0।
- 4- मुख्य अभियन्ता (कारपोरेट स्ट्रेटजी), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ। (कृपया इसे निगम वेब साइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें)
- 5- मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 6- महाप्रबन्धक (लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 7- मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 8- कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 14-09-2012 को सम्पन्न 152वीं बैठक के एजेण्ड आइटम सं0 33 के अनुपालन में।
- 9- उप महाप्रबन्धक / अधीक्षण अभियन्ता, (मा0सं0-02) / (मा0सं0-03) / (मा0सं0-04) / (मा0सं0-05) / (रिफार्म / प्रशिक्षण / संसदीय कार्य), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 10- सचिव, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 11- उप मुख्य लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 12- लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 13- सम्बन्धित कल्याण अधिकारीगण।
- 14- वैयक्तिक पत्रावली / पत्रावली सं0: 22-मा0सं0-01 / 2008 / कट फाइल।

आज्ञा से,  
  
(प्रकाश चन्द्र अस्थाना)  
अनु सचिव